न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 02/2017 अपील

श्री हदीशन बेगम पत्नी शहजाद पठान निवासी ईटून्दा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

बनाम

1. नूरजहां बेगम पत्नी नियाज मौहम्मद मुसलमान निवासी ईटून्दा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर प्रकरण सं. 76/2016 आदेश दिनांक 27.06.2016

उपस्थित –

1. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री ऋषि तिवारी , श्री निपेन्द्र सिंह राणावत अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट सं.01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 14.06.2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार जहाजपुर बमामले प्रकरण सं0 76/2016 आदेश दिनांक 27.06.2016 के खिलाफ दिनांक 19.12.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ईटून्दा पटवार हल्का ईटून्दा के बैरूण हल्का में अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थीगण सं. 01 के संयुक्त शामलाती प्रत्येक का 1/2 हक व हिस्से की हाल आराजी सं. 1516 रकबा 17 बिस्वा , 1517 रकबा 18 बिस्वा, 1518, 1519,1522 संयुक्त रकबा 09.05 बीघा एवं 1521 रकबा 05 बिस्वा स्थित हैं। अपीलार्थीया वृद्व अनपढ महिला हैं। अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी सं. 01 ने आपस में सहमति से विभाजन हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के यहां राजस्व रिकार्ड में हक व हिस्से अनुसार विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार जहाजपुर ने राजस्व रिकार्ड अनुसार विभाजन नहीं कर मनमकसूद तौर अपीलार्थीया के अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाकर विभाजन किया जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं

प्रस्तुत साक्ष्य व विधि के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं । राजस्व रिकार्ड में हाल आराजी सं. 1518 कुल रकबा 09.05 बीघा हैं जो अपीलार्थीया के 04 बीघा 12 बिस्वा विभाजन में आना चाहिये, लेकिन बंटवाडा प्रस्ताव गलत तौर बिना अपीलार्थीया को समझाये छल कपट कर तैयार किया गया हैं, और अपीलार्थीया के उक्त रकबें में से केवल 03.18 बीघा ही हक व हिस्से में रखी गयी हैं। जबकि अपीलार्थीया के उक्त आराजी सं. 1518 में से 04.12 बीघा भूमि आना चाहिये । प्रत्यर्थी सं. 01 के उक्त भूमि में से 5.07 बीघा भूमि रखी गयी है। इस प्रकार प्रत्यर्थी सं. 01 के हिस्से मे लगभग 01 बीघा भूमि अधिक रख दी गयी हैं। राजस्व मण्डल द्वारा विभाजन करते समय सभी सह हिस्सेदारों को एक समान किस्म, लगान की भूमि बराबर हिस्से में रखने हेतु नियमों की पालना सुनिश्चित करने हेतु आदेशित फरमाया गया हैं । लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में आराजी सं. 1518 की किस्म नहरी भूमि हैं और उक्त नहरी किस्म की भूमि का बराबर बराबर हक व हिस्सा किया जाना चाहिये था । लेकिन नहरी किस्म की भूमि का रकबा बराबर बराबर नहीं कर प्रत्यर्थी सं. 01 के लगभग 01 बीघा भूमि अधिक हक हिस्से में रख दिया गया हैं । अपीलार्थीया अनपढ महिला होने से उसे पूर्ण रूप से समझाया नहीं गया और गलत तौर उसके साथ छल, कपट कर विभाजन हेतु बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया हैं । अपीलार्थीया को दिनांक 9.12.2016 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सम्पूर्ण जानकारी हुई । इस प्रकार प्रस्तुत अपील होने जानकारी से अन्दर अविध प्रस्तुत हैं । फिर भी कानूनी ऐतराज को दफा करने हेतु अलग से धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया हैं। अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 10.01.2017 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया।

उपभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम ईटून्दा पटवार हल्का ईटून्दा के बैरूण हल्का में अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थीगण सं. 01 के संयुक्त शामलाती प्रत्येक का 1/2 हक व हिस्से की हाल आराजी सं. 1516 रकबा 17 बिस्वा , 1517 रकबा 18 बिस्वा, 1518, 1519,1522 संयुक्त रकबा 09.05 बीघा एवं 1521 रकबा 05 बिस्वा स्थित हैं। अपीलार्थीया वृद्व अनपढ महिला हैं। अपीलार्थीया एवं प्रत्यर्थी

सं. 01 ने आपस में सहमति से विभाजन हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर के यहां राजस्व रिकार्ड में हक व हिस्से अनुसार विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार जहाजपुर ने राजस्व रिकार्ड अनुसार विभाजन नहीं कर मनमकसूद तौर अपीलार्थीया के अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाकर विभाजन किया जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं प्रस्तुत साक्ष्य व विधि के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं । राजस्व रिकार्ड में हाल आराजी सं. 1518 कुल रकबा 09.05 बीघा हैं जो अपीलार्थीया के 04 बीघा 12 बिस्वा विभाजन में आना चाहिये, लेकिन बंटवाडा प्रस्ताव गलत तौर बिना अपीलार्थीया को समझाये छल कपट कर तैयार किया गया हैं, और अपीलार्थीया के उक्त रकबें में से केवल 03.18 बीघा ही हक व हिस्से में रखी गयी हैं। जबकि अपीलार्थीया के उक्त आराजी सं. 1518 में से 04.12 बीघा भूमि आना चाहिये। विभाजन प्रस्ताव में आराजी की किस्म समान विभाजित नहीं की गयी । विभाजन प्रस्ताव बनाते समय राजस्थान टीनेन्सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यु के नियम 18 – 21 की पालना नही की गयी हैं । जिससे अपीलाथी की अपील स्वीकार की जावे । अपीलार्थीया अनपढ महिला होने से उसे पूर्ण रूप से समझाया नहीं गया और गलत तौर उसके साथ छल, कपट कर विभाजन हेतु बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया हैं । अपीलार्थीया को दिनांक 9.12.2016 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सम्पूर्ण जानकारी हुई । इस प्रकार प्रस्तुत अपील होने जानकारी से अन्दर अविध प्रस्तुत हैं । फिर भी कानूनी ऐतराज को दफा करने हेतु अलग से धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया हैं। अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे ।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विभाजन में अपीलार्थीया को 01 बिस्वा भूमि अधिक दी गयी । सहमति के आधार पर बंटवारा किया गया । अपील के आधार गलत पेश किये । अतः अपीलार्थीया की अपील खारिज फरमायी जावे ।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी

मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण सं. 76/16 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 53 आर.टी.ए. का खातेदार नूरजहां बेगन पत्नी नियाज मोहम्मद मुसलमान सा.दे. एवं हदीशन बेगम पत्नी शहजाद पठान मुसलमान सा. देह. ने सहमति से विभाजन का तहसीलदार जहाजपुर के समक्ष प्रस्तुत किया । जिसमें अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट सं. 01 के सहमति के हस्ताक्षर होकर अपीलार्थी के हिस्से में 5.13 भूमि रखी गयी हैं एवं रेस्पोडेण्ट सं. 01 के हिस्से में 5.12 बीघा भूमि विभाजन में रखी गयी हैं । सहमति के विभाजन के आधार पर तहसीलदार जहाजपुर द्वारा दिनांक 27.06.2016 को विभाजन स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किये गये हैं । इस आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि पायी नहीं जाती हैं । पक्षकारान के मध्य विभाजन का सहमति से विभाजन होने से अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले प्रकरण सं0 76 /2016 निर्णय दिनांक 27.06.2016 के कम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं0 76 /2016 निर्णय दिनांक 27.06.2016 को यथावत रखा जाता हैं । निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/6/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)